न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कलेशान)

वाद संख्या :– 02 / 420 / 2015

भगवान बनाम सन्तोष वगैरा
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 20.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट कलेशान पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 22.06.2015 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 31 / 0.32, 32 / 0.84, 33 / 0.45, 52 / 0.02, 56 / 0.13 है. वाके ग्राम गोठ तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 20.07.2015 तक इस आशय की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई थी कि वो प्रार्थी के हिस्से तक मोका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा उपस्थित न्यायालय होने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 275 वाके गोठ के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित में प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया सहखातेदार साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 31 / 0.32, 32 / 0.84, 33 / 0.45, 52 / 0.02, 56 / 0.13 है. वाके ग्राम गोठ तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 22.06.2015 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2018 कैम्प कोर्ट कलेशान पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट कलेशान)